संख्या-24/2025/75/22-4-2025-370654

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 24 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद-हापुड़ में निर्माणाधीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ, उ0प्र0 के पत्र संख्या-2285/नम-3/09/हापुड भूमि/2025, दिनांक 21.01.2025 एवं पत्र संख्या-13168/नम-3/ईपीसी मोड/2024-25, दिनांक 22.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद हापुड़ में नवीन जिला कारागार का निर्माण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 19008.22 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 6652.877 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-22/2024/151/22-4-2024-370654, दिनांक 07.03.2024 द्वारा प्रदान की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-हापुड में नवीन जिला कारागार के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 5000.00 लाख (रूपया पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरण / शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत की जाने वाली द्वितीय किश्त की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार हापुड़	कारागार का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	19008.22	5000.00
			योगः-	19008.22	5000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा ।

(2) इस सम्बन्ध में परियोजना हेतु मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-22/2024/151/22-4-2024-370654, दिनांक 07.03.2024 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य / मद में किया जाएगा।

(4) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग दिनाँक 31.03.2025 तक कर लिया जाएगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,00,00,000 (रुपये पचास करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-24/2025/75(1)/22-4-2025-370654, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, हापुड़।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
(7) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(9) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(10) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।